न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी रूबी अंसार R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिसल संख्याः 92/2014 निर्णय दिनांक :–15.01.2026

उनवानी दावा :

कंचन पुत्री श्रीकिशन पत्नि हनुमान जाति बैरवा निवासी नगर तहसील दूनी जिला टोंक राज0 हाल निवासी ग्राम बलरिया तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर राज0

–वादी–

बनाम

1. भैरू पुत्र रामदेव जाति बैरवा निवासी नगरफोर्ट तहसील दूनी जिला टोंक।
2. तहसीलदार दूनी।
3. शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बडौदा शाखा नगरफोर्ट तह0 दूनी।
4. उप पंजीयन महोदय नगरफोर्ट।

–प्रतिवादीगण–

उपस्थितिः–
श्री बाबू लाल मीणा
अधिवक्ता वादीगण

एकपक्षीय कार्यवाही
विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1
पेरोकार सरकार

दावा उद्घोषणा खातेदारी व दुरूस्ती इन्द्राज

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादिया के पिता/दादा की खातेदारी की आराजीयात हाल ख0नं0 623 रकबा 0.02 है0 गै0मु0 चाह व ख0नं0 624 रकबा 1.47 है0 वाके ग्राम नगर तहसील दूनी स्थित है जिसके वादीया के दादा नारायण पुत्र धन्ना खातेदार काश्तकार थे। नारायण पुत्र धन्ना का देहान्त हो चुका है तथा नारायण के एक मात्र पुत्र श्रीकिशन बैरवा का भी देहान्त हो चुका है। वादीया मृतक श्रीकिशन बैरवा की एक मात्र वारिस है वादीया का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है :–

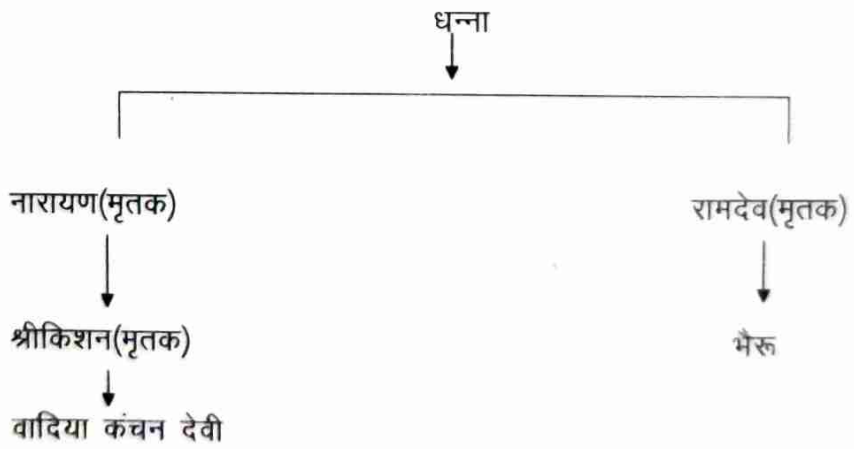

धन्ना के दो पुत्र नारायण व रामदेव थे दोनो का देहान्त हो गया है श्रीकिशन के वादीया व रामदेव के प्रतिवादी न0 1 जीवीत जाईन्दा वारिसान है वादिया मृतक नारायण व श्रीकिशन की एक मात्र जीवित वारिस है वादीया के अलावा अन्य कोई वारिस जीवित नही है इसी प्रकार रामदेव मृतक के भी केवल मात्र भेरू ही जीवित वारिस है। प्रतिवादी न0 1 ने राजस्व कर्मचारियो से साजिश रचकर और मृतक नारायण को लाऔलाद बताकर तथा छोटे भाई रामदेव को मृतक बताकर स्वंय के नाम नारायण पुत्र धन्ना की खातेदारी की जमीन को जरिये नामा0 सं0 30 दिनांक 10.06.1992 को स्वंय के नाम लगवाली जब कि उक्त भूमि से भेरू पुत्र रामदेव का कोई संबंध नही है। उक्त भूमि नारायण पुत्र धन्ना द्वारा स्वंय बनायी गई थी। उसकी मृत्यु के बाद उसका एक मात्र वारिस श्रीकिशन था लेकिन उसकी मृत्यु हो जाने के बाद उसकी एक मात्र वारिस वादीया है और नारायण पुत्र धन्ना की समस्त भूमि वादीया

स्वंय के नाम लगाने की अधिकारणी है। प्रतिवादी नं0 1 ने वादीया को स्वंय की बहिन बताते हुए ख0नं0 623 व 624 में 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में अंकित करवा दिया जब कि वादीया रामदेव की पुत्री नही है बल्कि श्रीकिशन की पुत्री है और उक्त दोनो खसरा नम्बरान के सम्पूर्ण रकबे की खातेदारी वादीया स्वंय के नाम लगवाने की अधिकारणी है इस कारण वादीया को हाल ख0नं0 623 व 624 वाके ग्राम नगर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं इसलिए यह वाद बाबत घोषणा खातेदारी का श्रीमान की सेवा मे पेश है। प्रतिवादी नं0 1 द्वारा नाम0 सं0 30 के जरिये विवादग्रस्त भूमि को स्वंय के नाम लगाया गया है वह नामान्तकरण बिल्कुल गलत भरा गया है उक्त नामा0 भरने से पूर्व मृतक नारायण के वारिसान बाबत कोई जांच नही की गई उक्त नामान्तकरण सं0 30 दिनांक 10.06.92 वादीया के हितो के विपरित है और उक्त नामा0 शून्य घोषित किये जाने योग्य है। प्रतिवादी नं0 1 ने उक्त भूमि उसके हाथ से निकल नही जाये इस कारण उसने प्रतिवादी नं0 3 के यहा रहन रख दी है इस कारण बैंक ऑफ बडौदा शाखा नगरफोर्ट को प्रतिवादी नं0 3 बनाया गया है उसके विरूद्ध कोई अधियाचना नही चाही गई है। वादिया का वर्तमान में विवादित आराजीयात पर 1/2 हिस्से पर कब्जा है प्रतिवादी नं0 1 ने राजस्व रिकार्ड में वादिया का नाम कंचन पुत्री रामदेव जाति बैरवा लिखवा रखा है जो बिल्कुल गलत है जिसको दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। प्रतिवादी नं0 1 आये दिन वादीया को उक्त जमीन जो अवैध रूप से उसके नाम अंकित है अन्य व्यक्ति को बेचान करने की धमकी देता है इस कारण उसे जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि वह विवादित आराजीयात अन्य किसी को रहन, दान, बेचान नही करे। तहसीलदार जी दूनी की जमीन का लेण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। बिनाय दावा आज से 10 दिन पूर्व उस समय उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी नं0 1 ने अपना हिस्सा अन्य दीगर व्यक्ति को बेचान, रहन, दान करने की वादीया को धमकी दी जो निरन्तर रूप से जारी है। विवादग्रस्त आराजीयात व पक्षकारान माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार मे होने से प्रस्तुत वाद का श्रवणधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। दावा अ0 धारा 88, 92ए 188 राज0 टी0 एक्ट के तहत अन्दर मियाद पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है।

अतः वादिया की अधियाचना है कि :-

अः- दावा बहक वादीया विरूद्ध प्रति0 नं0 1 बाबत घोषणा खातेदारी डिक्री किया जाकर वादीया को हाल ख0नं0 623 रकबा 0.02 है0 व ख0नं0 624 रकबा 1.47 है0 वाके ग्राम नगर तहसील दूनी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे और इसी अनुरूप राजस्व रिकोर्ड में अंकन किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड मे जो कंचन पुत्री रामदेव कोम बैरवा अंकित है उसे डिलिट किया जावे ओर सम्पूर्ण रकबे पर बतौर खातेदार वादीया का नाम दर्ज किया जावें। नामा0स0 30 दि0 10.06.92 को वादीया के हितो के विपरित शून्य घोषित किया जावे।

बः- दावा बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादी नं0 1 बाबत् स्थायी निषधाज्ञा डिक्री किया जाकर प्रतिवादी नं0 1 को पाबंद किया जावे कि उक्त विवादित खसरा नम्बरान मे जो अवैध अंकन उसके नाम हो रखा है उसके आधार पर वह रिकार्ड में दर्ज जमीन अन्य किसी को रहन, दान, बेचान नही करें। तथा प्रति0 नं0 4 को भी पाबन्द किया जावे कि प्रति0 नं01 के द्वारा उनके समूख विवादग्रस्त आराजियात का कोई विक्रय पत्र पंजीयन हेतु पेश हो तो उसका पंजीयन नही करे।

सः- खर्चा मुकदमा सहायता दिलवायी जावे।

प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता आलोक शर्मा ने वकालत-नामा पेश किया। अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 को जबाब हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब नही दिये जाने व पैरवी हेतु उपस्थित नही होने के कारण प्रतिवादी न0 1 का जबाब बंद कर अनुपस्थित रहने से प्रतिवादी संख्या के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। प्रतिवादी सख्या 2 तहसीलदार नगरफोर्ट ने जवाब दावा पेश किया जो इस प्रकार है:- 1. धन्ना बैरवा के दो

पुत्र है– अ. नारायण ब. रामदेव 2. नामांतरण संख्या 30 (नगर) विरासत नारायण पुत्र धन्ना की भैरू पुत्र रामदेव एवं कंचन पुत्री रामदेव के पक्ष में खोली गई। 3. नारायण पुत्र धन्ना को नाओलाद फौत होना बताया गया है जबकि नारायण के श्रीकिशन पुत्र हुआ एवं श्रीकिशन के एकमात्र पुत्री कंचन पुत्री श्रीकिशन थी। जबकि ना0स0 30 में कंचन को रामदेव की पुत्री बताया गया है, जो कि कंचन श्रीकिशन की पुत्री थी। नामांतरण खोलते वक्त नारायण का नाऔलाद फौत बताना गलत था। 4. रामदेव के भैरू पुत्र हुआ, अतः भैरू पुत्र रामदेव यथावत रखा जाना उचित है। अतः पटवारी हल्का की सलंग्न मौका रिपोर्ट एवं सजरा के आधार पर श्रीमान की सेवा में प्रेषित है।

पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई।

वादीया ने साक्ष्य पी. डब्ल्यू–1 वादी कंचन पुत्री श्री किशन पत्नि हनुमान जाति बैरवा आयु 48 वर्ष निवासी नगर तहसील दूनी जिला टोंक, पी. डब्ल्यू–2 बाबू लाल पुत्र श्री नाथूलाल बसवाल जाति खटीक उम्र 60 वर्ष निवासी नगरफोर्ट तहसील दूनी जिला टोंक का पेश किया। वादीया ने प्रदर्श करवाये जो इस प्रकार हैः– प्रदर्श–1 नामांतरण संख्या 30, प्रदर्श–2 सरपंच सजरा ग्राम पंचायत नगरफोर्ट, प्रदर्श–3 जमाबंदी सम्वत् 2051–2054 पेश किया।

साक्ष्यवादी बंद की की गई।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता वादीया ने बहस में वाद के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि वादिया मृतक नारायण व श्रीकिशन की एक मात्र जीवित वारिस है वादीया के अलावा अन्य कोई वारिस जीवित नही है इसी प्रकार रामदेव मृतक के भी केवल मात्र भेरू ही जीवित वारिस है। प्रतिवादी नं0 1 ने राजस्व कर्मचारियो से साजिश रचकर और मृतक नारायण को नाऔलाद बताकर तथा छोटे भाई रामदेव को मृतक बताकर स्वंय के नाम नारायण पुत्र धन्ना की खातेदारी की जमीन को जरिये नामा0 सं0 30 दिनांक 10.06.1992 को स्वंय के नाम लगवा ली जब कि उक्त भूमि से भेरू पुत्र रामदेव का कोई संबंध नही है। उक्त भूमि नारायण पुत्र धन्ना द्वारा स्वयं बनायी गई थी। उसकी मृत्यु के बाद उसका एक मात्र वारिस श्रीकिशन था लेकिन उसकी मृत्यु हो जाने के बाद उसकी एक मात्र वारिस वादीया है और नारायण पुत्र धन्ना की समस्त भूमि वादीया स्वंय के नाम लगाने की अधिकारणी है जिसको दुरूस्त करना न्यायहित में आवश्यक है। अतः वादीया का वाद स्वीकार किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी संम्वत 2051 से 2054 खसरा न0 623 रकबा 0.02 है, एवं खसरा न0 624 रकबा 1.47 है0 ग्राम नगर में जो कि प्रदर्श–3 है में भैरू पुत्र रामदेवा राहिन बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा नगरफोर्ट, कंचन पुत्री रामदेवा कौम बैरवा सा0देह अंकित है जिसको दुरूस्त करवाने हेतु वादीया ने वाद पेश किया है। तहसीलदार नगरफोर्ट से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार धन्ना बैरवा के दो पुत्र हुये नारायण व रामदेव। नारायण पुत्र धन्ना की विरासत नामांतरण संख्या 30 (नगर) द्वारा भैरू पुत्र रामदेव एवं कंचन पुत्री रामदेव के पक्ष में खोली गई। नारायण पुत्र धन्ना को नाओलाद फौत होना बताया गया है जबकि नारायण के श्रीकिशन पुत्र हुआ एवं श्रीकिशन के एकमात्र पुत्री कंचन पुत्री श्रीकिशन है। जबकि ना0स0 30 में कंचन को रामदेव की पुत्री बताया गया है, जो कि

कंचन श्रीकिशन की पुत्री थी। नामांतरण खोलते वक्त नारायण का नाऔलाद फौत बताना गलत था। अधिववक्ता वादिया ने वाद के समर्थन में प्रदर्श–1 नामांतरण संख्या 30, प्रदर्श–2 सरपंच सजरा ग्राम पंचायत नगरफोर्ट, प्रदर्श–3 जमाबंदी सम्वत् 2051–2054 पेश किये जिनसे वादीया का वाद साबित होता है। अतः वादीया वाद मुताबिक तहसीलदार नगरफोर्ट जांच रिपोर्ट, साक्ष्य सबूतों एवं दस्तोवजात से उचित प्रतीत होने से न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

अतः राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी संम्वत 2071–74 खाता संख्या 347 ख0नं0 623 रकबा 0.0200, ख0न0 624 रकबा 1.4700 है0 कुल किता–2 कुल रकबा 1.4900 है0 वाके ग्राम नगर पटवार हल्का नगर भू0अ0नि0 नगर तहसील नगरफोर्ट में कंचन पुत्री रामदेवा हिस्सा 1/2 एवं भैरू पुत्र रामदेवा हिस्सा 1/2 को विलोपित कर कंचन पुत्री रामदेवा एवं भैरू पुत्र रामदेवा के स्थान पर सम्पूर्ण खाता कंचन पुत्री श्रीकिशन जाति बैरवा निवासी नगर तहसील नगरफोर्ट हाल निवासी ग्राम बलरिया तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाईमाधोपुर के नाम की उद्घोषणा की जाती है। तहसीलदार नगरफोर्ट अमल दरामद राजस्व रिकॉर्ड करे। तद्नुसार एकपक्षीय डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल्स 6व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी.....मुकाम देवली व अलजाम रूबी अंसार आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली टोंक .....

उनवानी दावा :

कंचन पुत्री श्रीकिशन पत्नि हनुमान जाति बैरवा निवासी नगर तहसील दूनी जिला टोंक राज0 हाल निवासी ग्राम बलरिया तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर राज0

–वादीया–

बनाम

1. भैरू पुत्र रामदेव जाति बैरवा निवासी नगरफोर्ट तहसील दूनी जिला टोंक।
2. तहसीलदार दूनी।
3. शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बडौदा शाखा नगरफोर्ट तह0 दूनी।
4. उप पंजीयन महोदय नगरफोर्ट।

–प्रतिवादीगण–

उपस्थितिः–
श्री बाबू लाल मीणा
अधिवक्ता वादीगण

एकपक्षीय कार्यवाही
विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1
पेरोकार सरकार

दावा उद्घोषणा खातेदारी व दुरूस्ती इन्द्राज

मुकदमा नं. 92 सन् 2014

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..मुझ रूबी अंसार आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली बहाजरी श्री बाबू लाल मीणा अधिवक्ता वादीया मिनजामिन मुद्दई रूबरू एकपक्षीय कार्यवाही विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 एवं पेरोकार सरकार मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व एकपक्षीय डिक्री दी जाती है कि...

आदेश

राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी संम्वत 2071–74 खाता संख्या 347 ख0नं0 623 रकबा 0.0200, ख0न0 624 रकबा 1.4700 है0 कुल किता–2 कुल रकबा 1.4900 है0 वाके ग्राम नगर पटवार हल्का नगर भू0अ0नि0 नगर तहसील नगरफोर्ट में कंचन पुत्री रामदेवा हिस्सा 1/2 एवं भैरू पुत्र रामदेवा हिस्सा 1/2 को विलोपित कर कंचन पुत्री रामदेवा एवं भैरू पुत्र रामदेवा के स्थान पर सम्पूर्ण खाता कंचन पुत्री श्रीकिशन जाति बैरवा निवासी नगर तहसील नगरफोर्ट हाल निवासी ग्राम बलरिया तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाईमाधोपुर के नाम की उद्घोषणा की जाती है। तहसीलदार नगरफोर्ट अमल दरामद राजस्व रिकॉर्ड करे।

निजी.....मुवलिक.....बाबत .....

खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह ..... फीसदी सालना आज की तारीख वसूलियाकि तक ..... की अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 15 माह 01 सन् 2026 को जारी किया गया।

दस्तख्त .....
ओहदा .....
उपखण्ड अधिकारी
देवली (टोंक)

मुहर

मुददई	रू.	पै.	मुद्दायलह	रू.	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प अदालत नामा			स्टाम्प अदालत		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनतान वकील		
मेहनतान वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजरायहुक्मनामा		
बाबत् इजरायहुक्मनामा			अन्य मिजान		
अन्य					
मिजान					

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दी फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिलाया हो या नही दर्ज करना चाहिए।